VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS
+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(15 November 2024)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर के छह पुलिस थाना क्षेत्रों में फिर से लागू किया गया अफस्पा (AFSPA)
- रूस और उत्तर कोरिया के मध्य 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' संधि
- 'मेट्स (MATES)': प्रतिभाशाली युवा भारतीयों के लिए ऑस्ट्रेलिया में काम करने की नई योजना
- MCQ

ADDRESS:
19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

• केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर के छह पुलिस थाना क्षेत्रों में फिर से लागू किया गया अफस्पा (AFSPA):

मामला क्या है?

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 14 नवंबर, 2024 को मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के मद्देनजर मणिपुर के पांच जिलों में छह पुलिस थानों की सीमाओं को "अशांत क्षेत्र" घोषित करते हुए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) को फिर से लागू कर दिया। अब नया आदेश 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रहेगा।
- यह निर्णय मणिपुर में जारी झड़पों और विद्रोही गतिविधियों की रिपोर्टों के साथ अस्थिर स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया है। नए शामिल किए गए क्षेत्र हैं इंफाल पश्चिम में सेकमाई और लामसांग, इंफाल पूर्व में लामलाई, बिष्णुपुर में मोइरंग, कांगपोकपी में लेइमाखोंग और जिरीबाम।

- उल्लेखनीय है कि AFSPA, जो सशस्त्र बलों को बेलगाम शक्ति देता है, को मणिपुर सरकार ने अप्रैल 2022 में बेहतर सुरक्षा स्थिति और "आम जनता के बीच सुरक्षा की बड़ी भावना" के बीच इन क्षेत्रों से हटा लिया था।

जिरीबाम मुठभेड़ की घटना:

- सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) 1958 के तहत बहिष्कृत पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में से 6 को शामिल करने का नया निर्णय 11 नवंबर को मणिपुर के जिरीबाम में एक महत्वपूर्ण मुठभेड़ के बाद आया है, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों के साथ गोलीबारी के दौरान 11 संदिग्ध आतंकवादी मारे गए थे। इस झड़प में छद्म वेश धारण किए और अत्याधुनिक हथियारों से लैस आतंकवादियों ने बोरोबेकरा पुलिस स्टेशन और पास के CRPF कैंप पर हमला किया और बाद में पास के बाजार क्षेत्र में कई दुकानों को आग लगा दी।
- एक दिन बाद, उसी जिले से सशस्त्र आतंकवादियों ने महिलाओं और बच्चों सहित छह नागरिकों का अपहरण कर लिया।

मणिपुर में जारी जातीय हिंसा की चुनौती:

- यह घटना मणिपुर में चल रहे जातीय तनाव का हिस्सा है, जो मई 2023 से विभिन्न जातीय समूहों, विशेष रूप से मैतेई समुदाय और कुकी-ज़ो जनजातियों के

बीच संघर्ष के कारण बढ़ गया है। मणिपुर इस अशांति के कारण कम से कम 237 लोगों की मौत हो गई है और 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं।

मणिपुर में नए सिरे से AFSPA लगाने की प्रक्रिया:

- केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 26 सितंबर को मणिपुर सरकार ने मणिपुर के सभी दस पहाड़ी जिलों में AFSPA लागू कर दिया है। इसमें छह जिलों के 19 पुलिस थानों की सीमा को छोड़कर, जो ज्यादातर घाटी में हैं।
- गृह मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न हितधारकों के परामर्श से सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद यह पाया गया है कि "जारी जातीय हिंसा के बीच स्थिति अस्थिर बनी हुई है, और बिष्णुपुर-चुराचंदपुर, इंफाल पूर्व-कांगपोकपी-इंफाल पश्चिम और जिरीबाम जिलों के सीमांत क्षेत्रों में हिंसा-ग्रस्त क्षेत्रों में रुक-रुक कर गोलीबारी जारी है, जिसमें हिंसक घटनाओं में विद्रोही समूहों की सक्रिय भागीदारी के कई उदाहरण हैं।

नए सिरे से अफस्पा लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

- एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि इसके लागू होने के बाद सेना और असम राइफल्स मजिस्ट्रेट और राज्य पुलिस के आने का इंतजार किए बिना ही अभियान चला सकेंगे।

- उल्लेखनीय है कि अफस्पा को सीमांत या बफर जोन में फिर से लागू कर दिया गया है, ये वो इलाके हैं जहां कुकी-जो और मीतेई गांव मिलते हैं। इन इलाकों की सुरक्षा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर रहे हैं।
- हालांकि सेना पहाड़ियों में स्वतंत्र रूप से काम कर सकती थी, लेकिन घाटी के जिलों से अफस्पा हटाए जाने के बाद उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि उन्हें नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए इंतजार करना पड़ता था जबकि हथियारबंद बदमाश इस आदेश का फायदा उठाते थे।

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) 1958:

- सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) 1958 एक ऐसा कानून है जो भारतीय सशस्त्र बलों को "अशांत क्षेत्र" माने जाने वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष शक्तियां देता है।
- **शक्तियां:** AFSPA सशस्त्र बलों को कानून तोड़ने वाले लोगों को गिरफ्तार करने या मारने, बिना वारंट के परिसर की तलाशी लेने और बिना अनुमति के संपत्ति में प्रवेश करने और उसे जब्त करने की शक्ति देता है।
- **सशस्त्र बलों को सुरक्षा:** AFSPA सशस्त्र बलों को कानूनी कार्रवाई से बचाता है जब तक कि केंद्र सरकार उसे मंजूरी न दे।

- **अशांत क्षेत्र:** राज्यपाल, प्रशासक या केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को "अशांत क्षेत्र" घोषित कर सकती है यदि वह क्षेत्र इतना खतरनाक या अशांत है, जहां सशस्त्र बलों के उपयोग की आवश्यकता है।
- **आलोचना:** AFSPA की फर्जी मुठभेड़ों सहित मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए आलोचना की गई है। जीवन रेड्डी समिति ने AFSPA को निरस्त करने और इसके जगह गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 के प्रावधानों में बदलने की सिफारिश की थी।

रूस और उत्तर कोरिया के मध्य 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' संधि:

चर्चा में क्यों है?

- राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा रूस और उत्तर कोरिया के बीच एक संधि, को कानून बनाने के लिए हस्ताक्षर किए हैं, रूस उत्तर कोरिया के साथ रणनीतिक साझेदारी में शामिल हो गया है।
- इस समझौते में पारस्परिक रक्षा का प्रावधान है, जिसके तहत सशस्त्र हमले की स्थिति में प्रत्येक देश को दूसरे देश को सैन्य सहायता प्रदान करना अनिवार्य है।
- यह घटनाक्रम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन द्वारा प्योंगयांग में एक शिखर सम्मेलन के बाद एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के लगभग पांच महीने बाद हुआ है।

रूस और उत्तर कोरिया के बीच इस संधि में क्या शामिल है?

- ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अनुसार, दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर यह संधि, 1961 और 2000 की संधियों और 2000 और 2001 के

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

मास्को और प्योंगयांग घोषणा पत्रों की जगह लेगी। हालांकि रूस ने उत्तर कोरिया के साथ संधि के सभी पहलुओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है।

- इस संधि में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के अनुसार, यदि किसी भी देश पर सशस्त्र हमला होता है, तो तत्काल सैन्य और अन्य प्रकार की सहायता के प्रावधान भी शामिल हैं। अर्थात इस संधि में NATO के अनुच्छेद V (आपसी रक्षा सहयोग) के समान एक खंड शामिल है।
- दोनों देश ऐसे गठबंधनों या समझौतों में शामिल होने से बचने पर भी सहमत हुए जो एक-दूसरे को खतरा पैदा कर सकते हैं। यह खंड कथित खतरों के खिलाफ एक एकीकृत मोर्चे का सुझाव देता है, जो साझेदारी के रक्षात्मक और रणनीतिक पहलुओं को मजबूत करता है।
- यह समझौता एक "बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था" को बढ़ावा देने पर भी ज़ोर देता है, एक ऐसी अवधारणा जो कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित होने के बजाय कई देशों में वैश्विक शक्ति के वितरण की वकालत करती है।
- इसके अतिरिक्त यह संधि सीमा पार सहयोग को बढ़ाने पर प्रकाश डालती है, जो पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद आर्थिक लचीलापन बनाने के प्रयास का संकेत देती है।

ऐसे में इस संधि से व्यापार, आर्थिक सहयोग, निवेश, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग के विस्तार और विकास को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है।

रूस-उत्तर कोरिया के बीच प्रगाढ़ होते संबंध:

- इस वर्ष जून में राष्ट्रपति पुतिन की प्योंगयांग की यात्रा के बाद से उत्तर कोरिया के साथ रूस का बढ़ता गठबंधन और भी गहरा हो गया है। इस यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो शीत युद्ध के बाद से उनके बीच सबसे करीबी सैन्य सहयोग को दर्शाता है।
- यह समझौता रूस-उत्तर कोरिया संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है, खासकर रूस द्वारा 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से। चूंकि रूस यूक्रेन पर अपने आक्रमण को लेकर अंतरराष्ट्रीय अलगाव का सामना कर रहा है, इसलिए उसे उत्तर कोरिया जैसे सहयोगियों से सैन्य और राजनीतिक दोनों तरह का समर्थन मिलना महत्वपूर्ण है।
- यह समझौता तब हुआ जब पश्चिमी और दक्षिण कोरियाई ख़ुफ़िया सूत्रों ने आरोप लगाया कि उत्तर कोरिया ने रूस को हथियार मुहैया कराए हैं।
- इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट बताती हैं कि उत्तर कोरिया ने अपने हजारों सैनिकों को रूस भेजा है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसार, उत्तर कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ प्रशिक्षण और संभवतः लड़ने के लिए लगभग 10,000 सैनिकों को रूस भेजा है। राष्ट्रपति जो बिडेन ने इस कदम को "बहुत खतरनाक" बताया, नाटो महासचिव मार्क रूटे ने भी इस भावना को दोहराया, जिन्होंने इसे "रूस के युद्ध का खतरनाक विस्तार" कहा है।

दोनों देशों के लिए इस संधि का रणनीतिक महत्व:

- कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन के वरिष्ठ विश्लेषक होंग मिन के अनुसार, इस द्विपक्षीय अनुसमर्थन का मतलब है कि "दोनों देश, रूस में उत्तर कोरिया की सैन्य तैनाती के लिए वैधता का दावा करेंगे, यह तर्क देते हुए कि यह कार्रवाई दोनों के बीच अनुसमर्थित संधि द्वारा उचित है"।
- हांग ने आगे कहा कि "हालांकि उनकी संधि ऐसे सहयोग को प्रतिबंधित करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को रद्द नहीं करती है, लेकिन वे अपने समझौते के आधार पर इसकी वैधता का दावा करेंगे।"
- कुछ विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह संधि भविष्य में रूस में उत्तर कोरियाई सैनिकों की और भी अधिक तैनाती का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

इस संधि पर पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया:

- G7 (ग्रुप ऑफ सेवन) देशों और इनके तीन प्रमुख सहयोगियों - दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के विदेश मंत्रियों ने उत्तर कोरिया और रूस के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग की निंदा करते हुए एक कड़ा बयान जारी किया।
- उन्होंने उत्तर कोरियाई सैनिकों द्वारा यूक्रेन में रूस के अभियान का सीधे समर्थन करने की संभावना पर चिंता व्यक्त की, चेतावनी दी कि इस तरह की भागीदारी संघर्ष के दायरे को खतरनाक रूप से बढ़ा देगी।
- G7 देशों ने बयान में रूस को उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल और गोला-बारूद के निर्यात के बारे में चिंताओं को उजागर किया गया, और इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन बताया गया।

VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS
+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

'मेट्स (MATES)': प्रतिभाशाली युवा भारतीयों के लिए ऑस्ट्रेलिया में काम करने की नई योजना

चर्चा में क्यों है?

- ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्रालय ने अस्थायी कार्य अंतर्राष्ट्रीय संबंध वीज़ा के तहत शुरू की गई नई 'मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली-प्रोफेशनल्स स्कीम (MATES)' योजना के संबंध में विधायी आवश्यकताओं और प्रक्रिया को जारी किया है। यह संशोधन 12 नवंबर 2024 को शुरू हुए और लक्षित क्षेत्रों में कौशल वाले भारतीय स्नातकों और शुरुआती करियर पेशेवरों को दो साल तक की अवधि के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने की अनुमति देंगे।
- यह नई वीजा योजना ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी व्यवस्था (MMPA) के तहत स्थापित की गई है।

प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी व्यवस्था (MMPA) क्या है?

- भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, दोनों देशों ने 23 मई, 2023 को प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी व्यवस्था (MMPA) की शुरुआत की।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- इस पहल का उद्देश्य पारस्परिक प्रवास को बढ़ावा देना और विशेष रूप से दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कौशल हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाना है।
- इस समझौते के केंद्र में 'MATES' है, जो ऑस्ट्रेलिया में बेहतर काम के अवसरों की तलाश करने वाले भारतीय छात्रों के लिए रोमांचक नए रास्ते खोलता है।

मेट्स (MATES) कार्यक्रम क्या है?

- MATES कार्यक्रम विशेष रूप से 30 वर्ष या उससे कम आयु के भारतीय नागरिकों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिन्होंने हाल ही में मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से स्नातक किया है।
- उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय छात्रों की बढ़ती संख्या (2024 में 122,000) के साथ यह योजना विदेश में अपने करियर को बढ़ाने के इच्छुक स्नातकों के लिए एक आकर्षक विकल्प प्रस्तुत करती है।

MATES के तहत वीज़ा के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

- MATES उन भारतीय नागरिकों के लिए खुला है जो:
  - ➢ आवेदन के समय 30 वर्ष या उससे कम आयु के हैं;
  - ➢ जिन्होंने पहले MATES में भाग नहीं लिया है;

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- ➢ अंग्रेजी भाषा में कुशल हैं;
- ➢ आवेदन के समय किसी योग्य शैक्षणिक संस्थान से 2 वर्षों के भीतर स्नातक की उपाधि प्राप्त की है; और
- ➢ निम्नलिखित में से किसी एक में योग्यता (स्नातक की डिग्री या उच्चतर) रखते हैं: नवीकरणीय ऊर्जा, खनन, इंजीनियरिंग, सूचना संचार प्रौद्योगिकी (ICT), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), वित्तीय प्रौद्योगिकी (FinTech) और कृषि प्रौद्योगिकी (AgriTech)।

- राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों से स्नातक इस योजना के लिए पात्र होंगे।

इस योजना के क्या लाभ हैं?

- MATES कार्यक्रम भारतीय स्नातकों को दो साल तक ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने की अनुमति देता है, जो अंतरराष्ट्रीय कार्य अनुभव प्राप्त करने का एक अमूल्य अवसर प्रदान करता है।
- इस योजना के तहत प्रतिभागी, बिना ऑस्ट्रेलियाई नियोक्ता से प्रायोजन की आवश्यकता के वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाता है और छात्रों के लिए इसे अधिक सुलभ बनाता है।

- इसके अतिरिक्त, जबकि प्रतिभागी अपने अध्ययन के नामांकित क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, रोजगार विकल्पों में लचीलापन है। इसका मतलब है कि स्नातक विभिन्न क्षेत्रों का पता लगा सकते हैं, संभावित रूप से ऐसी भूमिकाएँ प्राप्त कर सकते हैं जो सीधे उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि से संबंधित नहीं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी उनके कौशल और पेशेवर नेटवर्क को बढ़ाती हैं।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

MCQs

1. हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर के छह पुलिस थाना क्षेत्रों में फिर से अफस्पा (AFSPA) लागू किया गया है। मणिपुर में 'नए सिरे से अफस्पा लगाने के कारणों' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. मणिपुर में नए सिरे से अफस्पा को फिर से लागू करने से सीमांत या बफर जोन में बढ़ती हिंसक गतिविधियों पर त्वरित क़ाबू पाया जा सकता है।
2. इसके लागू होने के बाद सुरक्षा बल मजिस्ट्रेट और राज्य पुलिस के आने का इंतजार किए बिना ही अभियान चला सकेंगे।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans:(c)

2. चर्चा में रहे सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफस्पा) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं

(a) यह केंद्र से मंजूरी मिलने तक सशस्त्र बलों को कानूनी कार्रवाई से बचाता है।

(b) जीवन रेड्डी समिति ने AFSPA को और सख्ती से लागू करने का सुझाव दिया था।

(c) इसको किसी भी राज्य में केवल केंद्र सरकार द्वारा ही लगाया जा सकता है।

(d) उपर्युक्त सभी कथन सही हैं।

Ans:(a)

3. चर्चा में रहे रूस और उत्तर कोरिया के मध्य 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इस संधि को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 का स्पष्ट विरोधी माना जा रहा है।

2. इस समझौते में पारस्परिक रक्षा का प्रावधान है, जिसके तहत सशस्त्र हमले की स्थिति में प्रत्येक देश को दूसरे देश को सैन्य सहायता प्रदान करना अनिवार्य है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans:(b)

4. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, 'प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी व्यवस्था' की शुरुआत कब की गयी?

(a) अगस्त, 2019 में

(b) जुलाई, 2021 में

(c) अक्टूबर, 2024 में

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans:(d)

5. हाल ही में चर्चा में रहे 'मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली-प्रोफेशनल्स स्कीम (MATES)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह कार्यक्रम भारतीय स्नातकों को दो साल तक ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने की अनुमति देता है।

2. यह कार्यक्रम विशेष रूप से 30 वर्ष या उससे कम आयु के भारतीयों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिन्होंने हाल ही में मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से स्नातक किया है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans:(c)